शासन का निर्देश/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा।

पत्रांकः /SBM(G)/सामुदायिक शौचालय/संचालन/दिशा–निर्देश/2025–26 दिनॉकः २९/९/२५

1–उपायुक्त, स्वतः रोजगार, गोण्डा।
2–जिला पंचायत राज अधिकारी, गोण्डा।
3–समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
4–समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0)
जनपद–गोण्डा।

विषय–ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के समय से खोले जाने तथा केयर टेकर के मानदेय के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या–33–3099/199/2025 पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 10/09/2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालय समय से नहीं खोले जाते है, प्रायः सामुदायिक भवनों में ताला बन्द पाया जाता है। साथ ही यह भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर्स को मानदेय का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है।

जिस हेतु शासन स्तर से निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किया गया हैं:–

1–पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव एवं संचालन की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1759/33–3–2020–31/2019 दिनांकः 15 जुलाई, 2020 के माध्यम से की गई है। उक्त शासनादेश में सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव का कार्य दायित्व स्वंय सहायता समूह के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। भुगतान के संबंध में इस कार्य पर होने वाले पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किस्तों में (वर्ष के प्रथम माह व 6 माह बाद) स्वंय सहायता समूह को उपलब्ध कराने का प्राविधान है। पंचायती राज विभाग द्वार निर्धारित समय पर धनराशि स्वंय सहायता समूहों को दिए जाने के बाद भी केयरटेकर का भुगतान लम्बित रखा जाना आपत्ति जनक है।

2–शासन के संज्ञान में लाया गया है कि स्वंय सहायता समूहों के गठन, संचालन एवं अनुश्रवण आदि का दायित्व ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वार किया जाता है।

3–इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय तथा ग्राम पंचायत द्वारा उनके स्वयं सहायता समूह को ससमय भुगतान किया जाय तथा समूह द्वारा भुगतान प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित केयरटेकर के खाते में उनका मानदेय हस्तांतरित कर दिया जाय। अन्यथा की दशा में उस समूह को दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाय।

4–जनपद स्तर पर भी सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठकों में किया जाय। जिला पंचायत

अधिकारी एवं उपायुक्त, (एन.आर.एल.एम.) इस तथ्य की पृथक–पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा कितने समूहों का भुगतान किया जा चुका है और कहां–कहां भुगतान किया जाना अवशेष है, तथा समूह द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर संबंधित केयरटेकर्स का भुगतान किया गया है और कितने केयरटेकर्स का भुगतान अवशेष है? जिलाधिकारी द्वारा डी.सी. एन.आर.एल.एम. को निर्देशित कर दिया जाय कि जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक शौचालय के समय से खुलवाने, साफ–सफाई एवं रख–रखाव में कमी पाए जाने पर आवश्यकतानुसार उसी स्वयं सहायता समूह के अन्य केयरटेकर का या किसी अन्य स्वयं सहायता समूह का चयन कर लिया जाय।

5–विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा भी सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान का अनुश्रवण पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर के मानदेय का भुगतान नियमानुसार ससमय हो जाय। यदि कोई समूह या केयरटेकर कार्य नही करती है तो यह सचिव की जिम्मेदारी होगी कि उक्त के संबंध में लिखित रूप से उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) को अवगत करायेगें। यदि सचिव द्वारा लिखित रूप से अवगत नही कराने एवं सामुदायिक शौचालय बन्द पाए जाने की स्थिति में या केयरटेकर द्वारा कार्य न करने की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

6–ग्राम पंचायत द्वारा ससमय समूह को धनराशि हस्तांतरित न करने पर ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगा एवं जनपद स्तर पर यह जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। समूह से केयरटेकर को भुगतान न होने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व, उपायुक्त, (एन.आर.एल.एम.) का होगा एवं उन दोनों परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जाता है कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा आपको अपने स्तर पर प्राप्त समस्त आदेशों/निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करें, तथा प्रत्येक दशा में शत–प्रतिशत सामुदायिक शौचालय संचालित कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में सामुदायिक शौचालय संचालित न होने का कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। उक्त कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नही होगी।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
गोण्डा।

पत्रांकः 4365 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) उ0प्र0।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
4. उपनिदेशक(पं0), देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
5. समस्त ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जनपद–गोण्डा।

जिलाधिकारी
गोण्डा।